न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2020/00076

1. अनिल कुमार आत्मज चैतन्य प्रकाश जाति माली निवासी छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. सनील कुमार आत्मज चैतन्य प्रकाश जाति माली निवासी छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. जगन्नाथी बाई पुत्री रामनाथ पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. बद्री बाई पुत्री रामनाथ पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम चोमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. चतुर्भुज उर्फ चैतन प्रकाश आत्मज रामनाथ जाति माली निवासी ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. संतोष पुत्री रामनाथ पत्नी हनुमान जाति माली निवासी ग्राम ग्राम हालेड़ा निमोदा तहसील के.पाटन जिला बून्दी(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री बलराम शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 24.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 87/2011 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता है।

ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद की जमाबंदी सम्वत 1999 से 2002 के अनुसार खाता संख्या 28 की खसरा नम्बर 45 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1371/268 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1380/305 रकबा 6 बिस्वा , खसरा नम्बर 451 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1281/481 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1282/441 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 484 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1017/485–518,519 मिन रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 486 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1018/488–489 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 142 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1096/144 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर मिन 1017/485 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 90 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादीगण के दादा मथुरालाल व उनके भाईयों नारायण, काल्या, मंगला बेटे हरबख्श के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही थी। खातेदार नारायण के कोई पुत्र संतान नहीं थी, इस कारण वादीगण के पिता रामनाथ जी नारायण के यहां गोद चले गये। बाद मे उक्त भूमियों का खातेदारों के मध्य विभाजन हो गया तथा सेटलमेन्ट हो गया जिसके तहत खातेदार मथुरालाल के खाते खसरा नम्बर 682 की रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 401 की रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 387 की रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 की रकबा 15 बिस्वा , खसरा नम्बर 491 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदार नारायण के नाम दर्ज हुई। बाद मे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पुनः सेटलमेन्ट कार्य किया गया जिसके नये खसरा नम्बर कायम किये गये तथा उक्त भूमि नारायण के खाते दर्ज की गई और नारायण की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता मे खाते दर्ज हुई जो कि खसरा नम्बर 421 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 3.22 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 5.48 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई। इसी प्रकार खसरा नम्बर 682 की रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 720 की 2.99 हैक्टेयर कायम की जाकर खातेदार मथुरालाल के नाम दर्ज की गई। उपर्युक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्य 1 की पुश्तैनी भूमि है। उपर्युक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता यानी वादीगण के दादा मथुरालाल व नारायण से प्राप्त हुई है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भी समान हिस्सा है। अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां है इस कारण उपर्युक्त भूमि मे वादीगण का जन्म से ही हिस्सा है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे 1/5, 1/5 हिस्से मे वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम खाते मे दर्ज नहीं

करवा रहा है बल्कि वृद्धावस्था मे अन्य लोगों के बहकावे मे आकर अपने स्वार्थ हेतु भूमियों को बेचान कर रहा है, इसी क्रम मे प्रतिवादी संख्या 1 उपर्युक्त भूमि को रहन व बेचान करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादीगण को 2/5 हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने उक्त भूमि को रहन व बेचान नहीं करने तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित कर उसका बंटवारा करने को प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन करने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित करवाकर उसका बंटवारा करने को प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन करने से इन्कार कर दिया तथा प्रवितादी संख्या 1 ने वादीगण को दिनांक 07.09.2011 को धमकी दी कि वह उपर्युक्त भूमि मे वादीगण का नाम दर्ज कराने से पूर्व ही उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द व बेचान कर देगा। प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादीगण के 2/5 हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द व बेचान करे। इस कारण उपर्युक्त परिस्थितियों मे वादीगण के लिये वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। अन्त मे वादपत्र की मद संख्या 6 मे अंकित भूमि मे वादीगण को 2/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया । साथ ही वादपत्र की मद संख्या 6 तथा मद संख्या 7 मे अंकित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के 2/5 हिस्से की भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के 1/5, 1/5 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अलग–अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2013 को राजीनामे के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया गया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को विवादित आराजी के 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने प्रथम अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 प्रार्थना–पत्र के निर्णय के अधीन सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 जरिये

अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनिमय मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को बिना नोटिस व जानकारी के निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज होने व विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दिनांक 10.03.2020 से हुई है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं होने से प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी, जिससे अंदर मियाद अपील पेश नहीं कर सके। अन्त मे अपील मे हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः यह आवश्यक नहीं कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के वाद एवं डिक्री की जानकारी हो। पंजीकृत वसीयत तथा अन्य प्रश्न प्रकरण में अंतर्निहित है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। न्यायहित मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 720 रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे दिनांक 10.10.2013 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जबकि उक्त आराजी की वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष मे रामनाथ आत्मज चतुर्भुज द्वारा पंजीयन करवा रखी है, तथा बाद मृत्यु रामनाथ प्रार्थीगण की वसीयत के आधार पर खातेदार व काबिज काश्त चले आ रहे है, इस कारण प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 से प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थीगण को न्यायहित मे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट का प्रार्थना–पत्र मे कथन रहा है कि विवादित भूमि जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है, उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष मे वसीयतकर्ता खातेदार रामनाथ द्वारा निष्पादित की जाकर पजीकृत करवा रखी है तथा प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। चूंकि अपीलांट ने विवादित भूमि की एक पंजीकृत वसीयत पेश की है, अतः प्रथम दृष्ट्या अपीलांट के हित प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित होने के कारण अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा। अतः न्यायहित मे प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

9. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के दादा एवं रेस्पोडेन्ट के पिता रामनाथ आत्मज मथुरालाल द्वारा अपने जीवनकाल मे ही ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित खसरा नम्बर 720 रकबा 2.99 हैक्टेयर आराजी की वसीयत दिनांक 30.04.2010 को अपीलांट के पक्ष मे आलेखित कर उप पंजीयन कार्यालय दीगोद मे पंजीकृत करवा दी, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट को है। बाद मृत्यु रामनाथ के द्वारा की गई वसीयत वाली आराजी पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर व अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलांट की वसीयती व कब्जे वाली आराजी का दावा डिक्री करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रामनाथ जी द्वारा वसीयत की गई आराजी के रामनाथ जी एकमात्र खातेदार थे तथा उक्त आराजी उनकी स्वअर्जित आराजी थी जिसका उन्हे वसीयत आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उक्त वसीयत की प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट को जानकारी होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय से दावा डिक्री करवा लिया जो कि पूर्णतया अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद स्थित वसीयती आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रामनाथ जी द्वारा निष्पादित वसीयत रामनाथ जी की प्रथम व अन्तिम वसीयत है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के अनुसार बाद मृत्यु रामनाथ जी के वसीयत के आधार पर अपीलांटगण खातेदार हो जाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर स्वयं के पक्ष मे दावा डिक्री करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को बिना नोटिस व जानकारी के निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होने व बेदखल करने की धमकी दिनांक 10.03.2020 को हुई। जानकारी होते ही

प्रार्थीगण अपीलांट ने नकल लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर अधिवक्ता ने पूर्व जानकारी कर नकल आदेश हेतु प्रार्थना–पत्र लगाया, जिस पर नकल दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात पैसो की व्यवस्था कर अपील पेश है। प्रार्थीगण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2018(1) पेज 601, डी.एन.जे. 2003(3) राज पेज 1090 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपीलांट को पंजीकृत वसीयत दिनांक 30.04.2010 मे अंकित ग्राम छीपड़दा स्थित आराजी का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

10. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलांटगण के पिता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2, वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता रामनाथ जी को उनके पिता से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। विवादित भूमि के पैतृक भूमि होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वसीयत से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हे। पैतृक आराजी होने से रामनाथ जी के वारिसों को विवादित भूमि मे बराबर–बराबर हक अधिकार प्राप्त होते है । अपीलांट का धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे निर्णित वाद के पक्षकार प्रतिवादी संख्य 2 चतुर्भुज उर्फ चेतन आत्मज रामनाथ के पुत्र है। इनके पिता ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजीनामा किया है। अतः एक ही घर मे रहने वाले पुत्रों को कोई जानकारी निर्णय की नहीं हो, यह संभव नहीं है। पिता को भी सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी थी। अपीलांट क्लीन हैण्ड से भी नहीं आए है। रजिस्टर्ड वसीयत मे अनिल कुमार की उम्र 20 वर्ष अंकित है, तथा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत शपथ–पत्र मे उसकी उम्र 22 वर्ष अंकित है। वसीयत सन् 2010 की है तथा शपथ–पत्र सन् 2020 का है। अतः ये नाबालिग थे या बालिग थे, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इन्होने रामनाथ की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् वसीयत पेश नहीं की, क्योंकि इन्हें सम्पूर्ण वाद व निर्णय की जानकारी प्रारंभ से थी। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी घोषणा का वाद पक्षकारान के मध्य हुए विधिवत राजीनामे के आधार पर स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2016(2) पेज–1110, पेज–1381 तथा पेज–1091 प्रस्तुत किया, आर.आर.डी. 1994 पेज 23, आर.आर.टी. 2003 पेज 1332(सुप्रीम कोर्ट), आर.आर.टी. 2022 पेज 165, आर.बी.जे.

2022 पेज 741, आर.आर.टी. 2005 पेज 887, आर.आर.टी. 2017 पेज 711, आर.बी.जे. 2021 पेज 27, डी.एन.जे. 1998(आर.) 767 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10.10.2013 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन व मनन किया। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद की खाता संख्या 220 मे दर्ज खसरा नम्बर 421, 429, 573, 889 किता 4 रकबा 5.48 हैक्टेयर खातेदार रामनाथ पुत्र नारायण जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद की खाता संख्या 221 मे दर्ज खसरा नम्बर 720 रकबा 2.99 हैक्टेयर खातेदार रामनाथ पुत्र मथुरालाल जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 401, 387, 402, 682, 491 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 421, 429, 573, 720, 899 कायम किये जाना अंकित है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत 1999 से 2002 ग्राम छीपड़दा की खाता संख्या 28 मे दर्ज कुल किता 23 रकबा 90 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदार नारायण, मथुरा, काल्या, मंगला बेटे हरबख्श के जात माली बास गांव बाट बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। अपील के साथ अपीलांट ने पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 30.04.2010 की फोटोप्रति संलग्न की है जिसके अनुसार ग्राम छीपड़दा तहसील दीगोद की खाता संख्या 221 की खसरा संख्या 720 रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि को वसीयतकर्ता रामनाथ द्वारा अनिल कुमार व सुनिल कुमार पुत्रान चैतन्य प्रकाश जाति माली निवासी छीपड़दा तहसील दीगोद के पक्ष मे आलेखित किया जाना उल्लेखित है तथा वसीयत की लिखावट के अंत मे उपपंजीयक सांगोद की मुहर के ऊपर हस्ताक्षर अंकित है तथा साथ ही मुहर के दोनो ओर सुनिल, अनिल व रामनाथ के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.10. 2013 का है जिसके अनुसार पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत होना तथा राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल होना अंकित है। अपीलांट के पक्ष मे एक रजिस्टर्ड वसीयत पंजीयन दिनांक 30.04.2010 को उनके दादा द्वारा की गई है। यहाँ यह रेखांकित करना उचित है कि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रश्नगत आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट के पक्ष मे हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया। अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के रूप पक्षकार थे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि चूंकि वे एक ही छत के नीचे रहते थे, अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे वाद की जानकारी थी। परन्तु हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज आदि नहीं है जिससे यह स्पष्ट साबित हो कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में चले वाद एवं निर्णय दिनांक 10.10.2013 की जानकारी थी। केवल अनुमान के आधार पर जानकारी होने या नहीं होने के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन है कि अपील मे प्रश्नगत भूमि पैतृक प्रकृति की होने के कारण अपीलांट के दादा को सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का अधिकार ही नही था, परन्तु हमारे मत मे भूमि की प्रकृति क्या थी? यह वर्तमान स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत वसीयत, भूमि की प्रकृति तथा उभयपक्षकारान के विवादित भूमि में हक अधिकार मूलवाद में साक्ष्यों/गवाहों के परीक्षणोपरांत ही मूलवाद के निर्णय मे तय हो पाएंगे। चूंकि अपीलांट के पक्ष मे एक पंजीकृत वसीयत है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2013 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 87/2011 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के रूप मे पक्षकार कायम करते हुए, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 22.08.2023 को उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा